

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2014—भाद्र 11, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. एफ 12-32-2013-4-पच्चीस-4.—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उप खण्ड दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करती है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) के प्रयोजन के लिए वह न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी समझा जाएगा.

No. F-12-32-2013-4-XXV-4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 21 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, confer the powers of a Judicial Magistrate of the First Class for the trial of offences under the said Act to the Sub-Divisional Magistrate and he shall be deemed for the purpose of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 1 of 1974) to be a Judicial Magistrate of First Class.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.